12

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 22/2022

सम्पत चौधरी मार्फत मनीशंकर खीचड, निवासी नवलगढ, जिला झुंझुनूं मो0न0 8160785399

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 03.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 22/2022 पर दिनांक 10.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/172—73 दिनांक 18.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/प्रथम अपील/2022/508—509 दिनांक 02.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्पत चौधरी मार्फत मनीशंकर खीचड, निवासी नवलगढ, जिला झुंझुनूं मो0न0 8160785399 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 22/2022 सम्पत चौधरी बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं मे रिपोर्ट इस प्रकार पेश है कि आवेदिका सम्पत चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.11.2021 को ऑनलाईन आवेदन किया था जिसके आवेदन संख्या 348752871822040 थे। उक्त आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना के संबंध मे दिनांक 27.12.2021 को आवेदिका को सूचित कर दिया गया है। प्रार्थिया/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2021 के संबंध मे वांछित सूचना विचाराधीन अपील प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थिया/अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/प्रथम अपील/2022/508—509 दिनांक 02.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्पत चौधरी मार्फत मनीशंकर खीचड, निवासी नवलगढ, जिला झुंझुनूं, मो0न0 8160785399 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 22/2022 सम्पत चौधरी बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं मे रिपोर्ट इस प्रकार पेश है कि आवेदिका सम्पत चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.11.2021 को ऑनलाईन आवेदन किया था जिसके आवेदन संख्या 348752871822040 थे। उक्त आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना के संबंध मे दिनांक 27.12.2021 को आवेदिका को सूचित कर दिया गया है। प्रार्थिया/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2021 के संबंध मे वांछित सूचना विचाराधीन अ[illegible]/अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया [illegible] राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में [illegible]कते है।

आदेश आज दिनांक 03.02.20[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.02.21 17:09:28 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं